

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा0प्र0से0
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना अंतर्गत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े का वाहन के लिए कुल 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:

स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1035 दिनांक-22.07.2025 एवं 1528 दिनांक-06.10.2025 के आलोक में नवपदस्थापित सहायक निदेशक, ईख विकास को राज्य योजना अंतर्गत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए भाड़े का वाहन के उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत अवयवों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है-

क्र0सं0	कार्य अवयव	सामान्य जाति	
		भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	विषय शीर्ष- 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान-		
1.1	विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े की वाहन	16	50.00
	योग-		50.00

3. योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु उप/सहायक निदेशक, ईख विकास अधिकृत होंगे। परिशिष्ट-II में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के उप/सहायक निदेशक, ईख विकास स्वीकृत राशि की निकासी संलग्न परिशिष्ट-I के रूप में श्रेणीवार संबंधित बजट शीर्ष एवं विषय शीर्ष से भौतिक एवं वित्तीय आकार की विवरणी के अनुरूप करेंगे।


4. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कुल 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान के तहत निम्न शीर्ष से श्रेणीवार विकलनीय होगा-


क्रम संख्या	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/ विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	सामान्य वर्ग मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष- 0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	50.00
	योग-		50.00

5. विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक-143 स्वी./सी.सी. दिनांक-16.06.2025 के द्वारा परिचारित कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 (वि0)2 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उपलब्ध राशि के अनुसार आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।
7. विषय शीर्षों में कर्णांकित राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।
8. उक्त योजना का व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
9. योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक-05.01.2026 को आयोजित बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।
10. राज्यादेश प्रारूप एवं प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं0-01/विकास-यो0-233/2025 के पृष्ठ सं0-27/टि0 पर दिनांक-27.01.2026 को प्राप्त है।
11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-01/विकास-यो0-233/2025 के पृष्ठ सं0-25/टि0 पर दिनांक-22.01.2026 को प्राप्त है।
12. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन


 ईखायुक्त, बिहार।


ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-233/2025-638 /पटना, दिनांक- 03 फरवरी, 2026
 प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, बगहा/बेतिया/मोतीहारी/गोपालगंज/सीतामढ़ी/सिवान/
 समस्तीपुर/भागलपुर/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/भोजपुर/जमुई/पूर्णियाँ/सहरसा/पटना को सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-233/2025-638 /पटना, दिनांक- 03 फरवरी, 2026
 प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा)/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,
 पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख
 विकास, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक,
 ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 ईखायुक्त, बिहार।


ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-233/2025-638 /पटना, दिनांक- 03 फरवरी, 2026
 प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग
 विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


 ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-'I'

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना अंतर्गत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए भाड़े का वाहन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार स्वीकृत भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम/कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष- 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	
		विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े की वाहन	
		सामान्य	
		भौतिक (संख्या में)	वित्तीय
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	1	4.00
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	1	4.00
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	1	4.00
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	1	4.00
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	1	4.00
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	1	4.50
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	1	4.75
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	1	2.00
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	1	4.00
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, पुर्णियाँ	1	2.00
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	1	2.25
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	1	2.00
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	1	2.00
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, आरा	1	1.50
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	1	4.00
16	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	1	1.00
	कुल योग	16	50.00


ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-II

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना अंतर्गत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए भाड़े का वाहन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने विपत्र कोड-45-2401001080109 अंतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख ₹0 में)	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य श्रेणी	
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	4.00	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	4.00	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	4.00	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	4.00	कोषागार, गोपालगंज
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	4.00	कोषागार, सिवान
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	4.50	कोषागार, सीतामढ़ी
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	4.75	कोषागार, समस्तीपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	2.00	कोषागार, मुजफ्फरपुर
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	4.00	कोषागार, दरभंगा
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णियाँ	2.00	कोषागार, पूर्णियाँ
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	2.25	कोषागार, भागलपुर
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	2.00	कोषागार, सहरसा
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	2.00	कोषागार, जमुई
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, आरा	1.50	कोषागार, आरा (भोजपुर)
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	4.00	कोषागार, पटना
16	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	1.00	कोषागार, पटना
	कुल योग	50.00	

(पचास लाख ₹0) मात्र।


ईखायुक्त, बिहार।